JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

[1]पूनम, [2]डॉ. बबीता

[1]शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान एवं लोकप्रशासन विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक
[2]शोधनिर्देशिका, सहायक प्रोफेसर, राजनीतिक विज्ञान एवं लोकप्रशासन विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्विद्यालय, अस्थल बोहर रोहतक।

सारांश :

भारत में खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मुद्दा है, जो देश की विकास दर और गरीबी उन्मूलन और सामाजिक स्थिरता से सीधे–सीधे जुड़ा हुआ है। वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक रूप से निर्धन वर्गों और कमजोर वर्गों को सस्ते दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना है। इस अधिनियम के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया गया है, और समाज के निर्धन वर्ग तक खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया।

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रभाव का अध्ययन करना है, जिसमें इस अधिनियम की क्रियान्वयन प्रक्रिया, लाभार्थियों पर प्रभाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका और इससे जुड़े विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों का विश्लेषण किया गया है। अधिनियम में विशेष रूप से महिलाओं बच्चों व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

शोध के दौरान यह देखा गया है कि इस अधिनियम के माध्यम से शहरी और ग्रामीणा क्षेत्र के गरीब वर्गों को लाभ पहुंचा है, लेकिन साथ ही साथ इसमें कई चुनौतियां भी सामने आई है। इनमें से मुख्य चुनौतियां है–लक्ष्य समूह की पहचान में कठिनाई, खाद्य गुणवता में कमी, वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार, राशन की दुकानों में अनियमितता, अनाज भंडारण में समस्याएं, योजना का सही क्रियान्वयन और आपूर्ति श्रृंखला की सफलता। इसके बावजूद इस अधिनियम ने समाज के गरीब और वंचित तबके को राहत पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में यह अधिनियम विशेष प्रभावी सिद्ध हआ है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली महिलाओं को पोषण सहायता उपलब्ध कराने के लिए इसे प्रभावी रूप से लागू किया गया। इसके अलावा कुपोषण और भुखमरी जैसी समस्याओं में कमी लाने के लिए यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। इस अधिनियम के सफल क्रियान्वयन में केन्द्र और राज्य सरकारों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। खाद्य वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना, खाद्य गुणवता सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों तक खाद्य आपूर्ति को सतत बनाए रखना, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण जैसी चुनौतियां आज भी सामने आ रही हैं लेकिन यदि इन चुनौतियों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाए तो यह अधिनियम गरीबी उन्मूलन, खाद्य पोषण, सतत कृषि और भुखमरी व खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में सहायक सिद्ध हो सकता है।

प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला गया है, कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 ने देश के कमजोर वर्गों को भोजन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन अब भी इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न भंडारण प्रणाली का सुधार और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को सुधार करने की आवश्यकता है। यह अधिनियम देश में

खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। यदि सरकार और प्रशासन मिलकर इसे प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करें।

मुख्य शब्द : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, कुपोषण, सतत कृषि।

❖ परिचय (Introduction)

भारत में खाद्य सुरक्षा का ऐतिहासिक विकास

भारत में खाद्य सुरक्षा से संबंधित समस्याएं ब्रिटिश शासन काल से ही देखी जा सकती है ब्रिटिश शासन के दौरान देश को कई भयानक अटकलों का सामना करना पड़ा, जिनमें से बंगाल का भयंकर अकाल सबसे प्रमुख था। इस काल के दौरान लाखों लोगों की मौत हो गई और बहुत बड़े स्तर पर खाद्य संकट उत्पन्न हुआ। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी देश में खाद्य सुरक्षा एक बड़ी चुनौती रही है।

खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए सबसे बड़ा बदलाव वर्ष 1965–66 में आया, जब देश में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए हरित क्रांति की शुरूआत की गई। देश में भुखमरी और कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने 1947 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरूआत की।

वर्ष 1997 में सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल योजना की शुरूआत की, जिसमें गरीब और वंचित परिवारों को खाद्यान्न वितरण के लिए अलग से राशन कार्ड जारी किए गए। वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने देश के सबसे गरीब परिवारों के लिए अंत्योदय अन्न योजना की शुरूआत की।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का निर्माण

खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को वर्ष 2013 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत देश की लगभग 67प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में (75प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 50 प्रतिशत) को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से समाज के कमजोर और गरीब वर्ग को 5 किलोग्राम अनाज प्रत्येक महीने में दो से तीन रूपए प्रति किलोग्राम की दर पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। यदि हम सब मिलकर प्रयास करें तो एक भूख मुक्त और स्वस्थ समाज की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। यह अधिनियम भारत के गरीब लोगों के लिए एक सरंचनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। ताकि उन्हें जीवन की आवश्यकता अनुसार उचित भोजन मिल सके और कोई भी व्यक्ति भूख से वंचित न रहे यदि यह अधिनियम एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि देश की अधिकांश आबादी विशेष रूप से गरीब और कमजोर वर्गों को पोषण युक्त भोजन सस्ते दामों पर प्राप्त हो सके। खाद्य सुरक्षा अधिनियम को भारत में खाद्य सुरक्षा और भूख की समस्या से निपटने का एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है, जो राष्ट्र के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता

भारत में खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि यह समस्या एक दीर्घकालिक चुनौती रही है। भारत के विशाल और विविधतापूर्ण जनसंख्या विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां गरीबी और कुपोषणा एक सामान्य स्थिति है इन सभी ने देश के खाद्य सुरक्षा ढांचे को कमजोर बना दिया है भारत में लाखों लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, जिनके पास खाने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं है। आंकड़ों के अनुसार हर साल लाखों बच्चे कुपोषण के कारण अपनी जान गवाते हैं, और लाखों अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जुझते रहते हैं। इन मुद्दों को हल करने के लिए यह भी आवश्यक है कि देश में एक मजबूत और सर्वव्यापी खाद्य सुरक्षा प्रणाली बनाई जाए जिससे प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

1. **लाभार्थी वर्ग :** इस अनिधियम के तहत भारत की लगभग 67प्रतिशत जनसंख्या को लाभ मिल सकता है इसे दो वर्गों में बांटा गया है। प्राथमिकता वाले घर : इस श्रेणी में गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार आते हैं। इन परिवारों को राशन की दुकानों से सस्ते दरों पर अनाज मिलता है। इस श्रेणी में लगभग दो तिहाई जनसंख्या को शामिल किया गया है।

   (2) **अत्यंत गरीब परिवार :** यह योजना उन परिवारों के लिए हैं, जो बहुत ही गरीब है और जिनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इस श्रेणी में लगभग दो करोड़ परिवार आते हैं। जिनको विशेष सहायता प्रदान की जाती है।

2. **खाद्य सामग्री की उपलब्धता :**

   इस अधिनियम के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित सस्ते दामों पर खाद्य सामग्री प्राप्त होती है :

   चावल : 3 रूपये प्रति किलोग्राम

   गेंहू : 2 रूपये प्रति किलोग्राम

   मोटा अनाज : बाजरा, ज्वार आदि 1 रूपये प्रति किलोग्राम

इन दरों पर सरकार राशन की दुकानों से अनाज की उपलब्धता करवाती है जिससे गरीब परिवारों को कम कीमत पर भोजन प्राप्त हो सके। इस प्रणाली से भारत के गरीब वर्ग को काफी राहत मिली है।

3. **विशेष प्रावधान और अधिकार**

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य का अधिकार प्राप्त है, जो इस बात को सुनिश्चित करता है, कि सभी को सस्ते और पोषक भोजन प्राप्त हो सके विशेष रूप से महिलाओं बुजुर्गों, बच्चों और विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रावधान किए गए है, ताकि वह इस अधिनियम के तहत विशेष लाभ प्राप्त कर सके।

महिलाओं के लिए विशेष रूप से महिला प्रावधान परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। महिलाओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण से यह अधिनियम लागू किया गया है महिला प्रधान घरों को राशन वितरण में प्राथमिकता दी जाती है।

बच्चों के लिए बच्चों को पौष्टिक आहार विशेष कर स्कूलों में मिड डे मील के माध्यम से दिया जाता है। यह सुनिश्यित करता है कि बच्चों को उचित आहार मिलें और उनका शारीरिक और मानसिक विकास सही प्रकार से हो सके।

विकलांगों और बुजुर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, ताकि उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सकें और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे।

4. **भोजन की गुणवत्ता :** खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार यह सुनिश्चित करती है, कि वितरण और निगरानी के लिए एक मजबूत प्रक्रिया को अपनाया जाए। इसमें खाद्य वितरण के लिए राशन कार्ड का उपयोग किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस योजना से वंचित न हो। सभी को इसका लाभ मिल सके।

   सरकार ने कई उपायों को अपनाया है, जैसे कि पीडीएस जो राशन दुकानों के माध्यम से खाद्य वितरण करता है। इसके अलावा राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों में खाद्य वितरण की निगरानी के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

5. **आधारभूत ढांचा और संसाधन :** इस अधिनियम को लागू करने के लिए एक मजबूत आधारभूत ढांचे की आवश्यकता थी। खाद्य वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने राशन की दुकानों को दामों और अन्य वितरण प्रणालियों को सुधारने के प्रयास किए गए है। इसके अलावा इस योजना के सफल कार्य में लिए गए पर्याप्त वितीय संसाधनों की भी आवश्यकता थी जिसे सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया।

❖ **खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रमुख उद्देश्य :**

1 खाद्य सुरक्षा अधिनियम का अध्ययन करना।

2 खाद्य सुरक्षा अधिनियम की समस्याओं का अध्ययन करना।

शोध विधि : प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीय स्त्रोतों पर आधारित हैं शोध पत्र में पुस्तकों, जनरल आदि का प्रयोग किया गया है।

साहित्य समीक्षा :

1. **एस. के. मिश्रा एंड व्हाइट के पूरी, "इंडियन इकोनामी" (2014) :** प्रस्तुत पुस्तक में लेखक द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समस्याओं को पहचाना तथा उनके उन्मूलन के सुझाव दिए गए है। उन्होंने अपने अभ्यास में पाया कि 58प्रतिशत सब्सिडी अनाज बीपीएल परिवारों तक समय पर नहीं पहुंचा है।

   लेखक ने भारतीय खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में यह स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा केवल खाद्यान्न की उपलब्धता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक मुद्दा भी है। जिसमें खाद्यान्न की उचित कीमत पोषण, पहुंच और वितरण प्रणाली की दक्षता अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे में विशेष सुधार और गरीबों तक खाद्य प्रणाली की उचित और पारदर्शी पहुंच सुनिश्चित करना जरूरी है। उनके अनुसार भारत को खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को और अधिक प्रभावी बनाना होगा, ताकि सभी नागरिकों को विशेष कर गरीब और वंचित वर्गों को सस्ते और पौष्टिक भोजन प्राप्त हो सके।
   लेखक के अनुसार भारत में, खाद्य सुरक्षा का मुद्दा बहुत ही जटिल है क्योंकि देश में भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक विविधताएं है। भारत में गरीबी की दर अधिक है और लाखों लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं ऐसे में इन लोगों के लिए सस्ती दरों पर खाधान्न उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है इसके अलावा भारत में पर्याप्त खाधान्न उत्पादन होने के बावजूद वितरण में असमानताएं और अनुचित बुनियादी ढांचा खाद्य सुरक्षा में बाधाए उत्पन्न करता है।
2. **वंदना शिवा, "वूमेन इन द वन गॉड, 2015 :** प्रस्तुत पुस्तक में लेखिका ने यह बताया है कि बीज और अनाज को सहेजने और सही रूप में देने में औरतों का हजारों वर्षों से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आधुनिक युग में महिलाएं कार्यकर्ता वैज्ञानिक व शोधार्थी के रूप में प्रस्तुत हो रही है। जो खाद्य सुरक्षा के लिए अच्छा कदम है लेखिका ने खाद्य सुरक्षा को महिलाओं के अधिकार और उनके जीवन की गुणवता से जोड़ा है उनके अनुसार महिलाएं पारंपरिक रूप से खाद्य उत्पादन वितरण और घर के पोषण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भारत जैसे विकासशील देशों में महिलाओं के पास खाद्य सुरक्षा का एक विशेष स्वभाविक अधिकार है क्योंकि वह भोजन का प्रबंधन करती हैं और पोषण की मुख्य स्तंभ होती है लेखिका ने यह भी बताया है कि महिलाओं को खाद्य सुरक्षा से संबंध केवल उनके खाद्य तक पहुंचाने की क्षमता तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह उनके जीवन स्तर उनके समाज में शक्ति और उनके पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी जुड़ा हुआ है। लोगों के लिए सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है इसके अलावा भारत में पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन होने के बावजूद वितरण में असमानताएं और अनुचित बुनियादी ढांचा खाद्य सुरक्षा मे बाधाएं उत्पन्न करता है।
3. **राम अहुजा, सामाजिक समस्याएं, 2016 :**
   जो खाद्य सुरक्षा योजना 2013 का वर्णन किया गया है लेखक ने बताया है कि यह योजना 5 जुलाई 2013 से लागू हई है और पूरे भारत में विस्तृत हुई। राम आहूजा ने कृषि क्षेत्र और खाद्य सुरक्षा के बीच के रिश्ते को भी प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन की बढ़ती हुई असमानताएं और किसानों की समस्यांए जैसे कि बढ़ते हुए कर्ज, सिंचाई की कमी और प्राकृतिक

आपदाएं खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रही है। उनका मानना यह है कि खाद्य सुरक्षा तब तक ही सुनिश्चित हो सकती है जब कृषि क्षेत्र को मजबूत किया जाए और किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने खाद्य वितरण प्रणाली की कमजोरी पर भी ध्यान केंद्रित किया है। राम अहूजा के अनुसार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भ्रष्टाचार और गलत वितरण के खाद्य सुरक्षा को प्रभावित किया है। राशन कार्ड की फर्जी मामले खाद्य वस्तुओं की कालाबाजारी और वितरण में असमानताएं खाद्य सुरक्षा की समस्या की ओर जटिल बनाती है। उन्होंने इस प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है, ताकि खाद्य सुरक्षा सभी तक उचित मात्रा में पहुंच सके। उनका मानना था कि खाद्य सुरक्षा केवल भोजन की उपलब्धता पर निर्भर नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक और आर्थिक अधिकार है वह खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सुधार प्रारंभिक प्रणालियों का सरंक्षण महिला सशक्तिकरण और खाद्य वितरण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हैं उनका दृष्टिकोण इस बात को स्वीकार करता है कि खाद्य सुरक्षा की समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक हम गरीबी असमानता और कृषि संकट जैसी मूलभूत समस्याओं को खत्म नहीं कर सकते।

4. **कविता एवं संतोष, "पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन रूरल हरियाणा" :** इन इवैल्यूएशन 2015: प्रस्तुत पुस्तक में लेखिका ने यह बताया कि भारत जैसे विकासशील देश में केन्द्रीय राष्ट्रीय आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली की बहुत जरूरत है। क्योंकि खुले बाजार सिस्टम में गरीब लोगों तक आवश्यक वस्तुएं उचित मात्रा में नहीं मिल पाती है। इन्होंने यह स्पष्ट किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान तो है, लेकिन इसके सफल कार्यान्वयन के लिए कई सुधारों की आवश्यकता है, उन्होंने पीडीएस के तहत वितरण प्रणाली में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार में कमी और उपयुक्त सुविधाओं के विस्तार पर विशेष बल दिया है, तथा साथ ही उन्होंने महिलाओं की भूमिका और उनके खाद्य सुरक्षा की जरूरत को भी प्राथमिकता देने की आवश्यकता बताई। यह किताब इस तत्व को उजागर करती है कि खाद्य सुरक्षा केवल अनाज के वितरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक समग्र प्रणाली है जिसमें सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और नागरिकों के अधिकारों को सम्मान किया जाना चाहिए।

❖ खाद्य सुरक्षा अधिनियम में सरकार की भूमिका :

1. **नीति निर्माण और नियमन :** सरकार खाद्य अधिनियम के तहत विभिन्न नियम और नीतियां बनाकर उर्वरक क्षेत्र का नियंत्रण करती है। इसके लिए विभिन्न संस्थाएं कार्यरत है केन्द्रीय उर्वरक मंत्रालय उर्वरकों से संबंधित सभी नीतियों को लागू करने वाली मुख्य संस्था है भारतीय खाद्य निगम यह सहकारी संगठनों के माध्यम से खाद्य की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। राज्य कृषि विभाग खाद्य की उपलब्धता की निगरानी और वितरण के लिए सुनिश्चितता करता है।
2. **खाद्य की कीमतों का नियंत्रण :** भारत सरकार उर्वरकों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से किसानों को खाद्य उत्पाद में सहायता करने के लिए उर्वरकों की कीमतों को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

यूरिया सब्सिडी : भारत में यूरिया की कीमते नियंत्रित रहती है जिससे यह किसानों को सस्ती दरों पर उपलब्ध हो जाती है।

❖ निष्कर्ष एवम् सुझाव

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भारत के खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है। जिसका प्रमुख उद्देश्य समाज और गरीब, कमजोर और पिछड़े वर्गों को सस्ती दरों पर खाधान्न उपलब्ध कराना तथा उन्हें भूखमरी, कुपोषण और खाद्य असुरक्षा से बचाना है। यह अधिनियम न केवल खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक मजबूत कानूनी आधार तैयार करता है, बल्कि देश में गरीबी उन्मूलन और भोजन का कानूनी अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण मिल

का पत्थर साबित हुआ है। इस अधिनियम के तहत गरीबों और कमजोर वर्गों को प्रतिमाह 5 किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति मात्र रूपये 2 प्रतिकिलोग्राम गेंहू, तीन रूपये प्रति किलोग्राम चावल और एक रूपये प्रति किलोग्राम मोटा अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। यदि सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत पारदर्शिता भंडारण प्रणाली और वितरण प्रक्रिया को मजबूत किया जाए तो यह अधिनियम भारत में भुखमरी और कुपोषण को समाप्त करने में एक स्थाई और ऐतिहासिक समाधान बन सकता है।

1. लाभार्थियों की सही पहचान करना। पारदर्शी डाटा तैयार किया जाए ताकि गरीबों व जरूरतमंद लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें।
2. आधार पर अन्य डिजिटल प्रणालियों का प्रयोग प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए।
3. सार्वजनिक वितरण प्रणालियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ई–पोस मशीनों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
4. राशन वितरण में पारदर्शिता को अपनाना चाहिए।
5. लाभार्थियों को उनके अधिकारों और लाभों के बारें में जागरूक करना चाहिए।

❖ संदर्भ सूची :

- मिश्रा एस. के. एण्ड पुरी वी. के., इंडियन इकोनोमी, नई दिल्ली, हिमालया पब्लिकेशन, 2011।
- मलिक जगपाल सिंह, बढ़ता कृषि उत्पादन : एक परिदृश्य, नई दिल्ली निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वां. 61, अंक 11 सितम्बर 2015।
- रायजादा बी. एस. एवं शर्मा वंदना, शिक्षा में अनुसंधान के आवश्यक तत्व, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर 2013।
- शर्मा जी. एल., सामाजिक मुद्दे, रावत पब्लिकेशन, जयपुर 2015
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013।
- मिश्र नन्दलाल, कुपोषण से लडाई : कठिन डगर योजना, नई दिल्ली, वॉ. 62, अंक 5 मई 2018।
- चौहान श्याम सुन्दर सिंह, खाद्य सुरक्षा की दिशा में सार्थक प्रयास, नई दिल्ली, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुरूक्षेत्र, वॉ. 57, अंक 5, मार्च 2011।
- जैन पी. के. हंसरा बी. एस. चक्रवर्ती के. एस., कुरूप जयाश्री एम. ससटेनेबल फूड सिक्योरिटी, न्यू देहली, मितल पब्लिकेशन, 2010।